वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० आर० दास मुंशी) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट 151, अनुपत्र सं० 16]

(ख) निर्यात की जा रही मदों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में किए गए सुधारों में शामिल हैं, एम० आर० टी० पी० अधिनियम, के अंतर्गत बड़े घराने की परिभाषा के लिए परिसम्पत्तियों की सीमा बढ़ाना, विभिन्न उद्योगों के लाईसेंस हटाना, व्यापक बनाना आदि ।

(ग) से (ङ) निर्यात के मामले में प्रशासनिक कमियों के संबंध में अधिकारियों द्वारा कथित गतिरोध/बाधा पैदा करने के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत ध्यान में नहीं लाई गई है ।

निर्यात बढ़ाने के मामले में लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान

339. श्री शरद यादव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान कुल निर्यात प्रतिशत का कितने प्रतिशत रहा है ;

(ख) सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहनों और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन मदों के नाम क्या हैं जिन पर सरकार अनुदान देती है और प्रत्येक मद पर कितना-कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ; और

(घ) सरकार इस क्षेत्र द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या नए कदम उठा रही है और अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० आर० दास मुंशी) : (क) कुल निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत के रूप में योगदान केवल 1982-83 से 1986-87 की अवधि के लिए उपलब्ध है । इसका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

a-if	
1982-33	22. 96
1983-84	21 . 92
1984-85	21.74
1985-86	25. 42
1986-87	29. 03

स्रोत :—विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय ।

(ख) निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रोत्साहन निर्यात मदों से संबंधित है और लघु तथा बड़े उद्योग क्षेत्रों में कोई भेद नहीं किया जाता है । फिर भी निर्यात घरानों/व्यापार घरानों की पात्रता निश्चित करने के लिए लघु तथा कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्योगों द्वारा उत्पादित माल के निर्यात से प्राप्त निवल विदेशी मुद्रा अर्जन को वास्तविक निवल विदेशी मुद्रा आय से दोगुना मान लिया जाता है ।

(ग) और (घ) विदेशों में बिक्री दल प्रतिनिधि मंडल भेजकर निर्यात संवर्धन के लिए सहायता अनुदान "बाजार विकास सहायता निधि" से दिया जाता है । ऐसा सहायता अनुदान प्रदान करते समय लघु क्षेत्र को अपेक्षाकृत अधिक अनुदान अर्थात् 60% सहायता दी जाती है । विदेशों में बिक्री दल/बिक्री सह अध्ययन दल और प्रतिनिधिमंडल भेजने में लघु क्षेत्र से अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधि शामिल करने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं । उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हाल के वर्षों में लघु क्षेत्र से निर्यात में काफी वृद्धि हुई है ।